

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਸਂ. 1412] No. 1412] नई दिल्ली, **बुधवार,** अप्रैल 11, 2018/चैत्र 21, 1940

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2018/CHAITRA 21, 1940

वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2018

आय-कर

का.आ.1558(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 9क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पांचवां संशोधन) नियम, 2018 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 10फक में उपनियम (2) में "सदस्य (आय-कर) केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली" के शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर, "विदेशी कर और कर अनुसंधान प्रभाग (एफटी और टीआर) का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करने वाला सदस्य केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली" शब्द रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 19/2018/फा.सं. 142/15/2015-टीपीएल] नीरज कुमार, अवर सचिव (कर नीति और विधायन)

िटप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग **II,** खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. सं. 969(अ), तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना सं. सा.का.नि.352(अ), तारीख 9 अप्रैल, 2018 द्वारा संशोधित किए।

2121 GI/2018 (1)

MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2018

INCOME-TAX

S.O.1558.(E).— In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 9A of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the Income-tax (5th Amendment) Rules, 2018.
 - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Income-tax Rules, 1962, in rule 10VA, in sub-rule (2), for the words and brackets "Member (Income-tax), Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, North Block, New Delhi", the words, "the Member, Central Board of Direct Taxes, Department of Revenue, Ministry of Finance, North Block, New Delhi having supervision and control over the work of Foreign Tax and Tax Research (FT&TR) Division" shall be substituted.

[Notification No. 19/2018/ F. No. 142/15/2015-TPL]

NIRAJ KUMAR, Under Secy. (Tax Policy and Legislation)

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) vide number S.O. 969 (E) dated 26th March, 1962 and was last amended by notification G.S.R. No.352(E) dated 9th April, 2018.